

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-5512/2022

धनेश कुमार सैनी (कर्मचारी आई.डी.- आरजेबीपी199707016356)

—अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, राजस्थान,
जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.10.2022

आदेश की दिनांक : 22.11.2022

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री कैलाश चन्द कटारा, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी सहायक विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति वैर भरतपुर में कार्यरत है। आलौच्य आदेश दिनांक 12.10.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचायत समिति सपोटरा करौली में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की पत्नी राजकीय सेवा में भरतपुर जिले में ही कार्यरत है तथा पति-पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हो तो, राज्य सरकार की नीति में पति-पत्नी को एक स्थान पर या आस-पास रखे जाने का प्रावधान है, जिसकी पालना यह स्थानांतरण आदेश नहीं करता है। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण उसके निवास स्थान से 125 किमी. दूर किया गया है, जो उचित नहीं है। उनका आगे यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के स्थान पर अन्य किसी को नहीं लगाया गया है, उनके पद को रिक्त रखा गया है, जो कि बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया

गया है। ऐसे में कार्यालय आदेश दिनांक 12.10.2022 (अनुलग्नक-1) निरस्त किये जाने योग्य है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)